लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/103/2017 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 22.12.2017

श्री राहुल पंचोली पिता सुरेश पंचोली निवासी 90ए/6, कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 18.01.2018

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 22.11.2017 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 103/2017/(18.01)/1060 दिनांक 22.12.2017 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 18.01.2018 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 18.01.2018 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपना पक्ष रखा कि उसे लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्री सुरेश कुमार खटीक के पदस्थापन दिनांक से उसके आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक तक तीनों बिन्दुओं संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है अतः तीनों बिन्दुओं की वांछित सूचना उपलब्ध करावें।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2017/1763 दिनांक 29.12.2017 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:—

1. यह है कि प्रार्थी श्री राहुल पंचोली पिता सुरेश पंचोली निवासी 90ए/6 कुम्भानगर चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 22.11.2017 को प्रस्तुत किया जाना सही है।
2. यह है कि प्रार्थी श्री राहुल पंचोली निवासी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना के सभी बिन्दु प्रश्नात्मक होने से इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2017/1691 दिनांक 08.12.2017 से सूचित कराया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के परिपत्र क्रमांक/प–3(22)प्रसू /सूअप्र/06 दिनांक 02.02.2009 के तहत व्यवस्था दी है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना को सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न है।)
3. यह है कि प्रार्थी को सूचना के संबंध में जानकारी उपलब्ध करा दी जाने से अब कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, जवाब तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2017/1763 दिनांक 29.12.2017 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसके द्वारा तीन बिन्दुओं पर सूचना चाही गई है जो कि प्रश्नात्मक नहीं है किन्तु अपीलार्थी द्वारा वांछित तीन बिन्दुओं की सूचनाओं में बिन्दु संख्या 1 व 2 मे स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 व 2 में एस. डी. ओ. चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध प्रस्तुत शिकायतों व परिवाद की

प्रमाणित प्रतियां तथा एस. डी. ओ. चित्तौड़गढ़ को दिये गये नोटिस की प्रमाणित प्रतियां चाही गई है किन्तु उक्त बिन्दुओं में अपीलार्थी द्वारा यह स्पष्ट अंकन नहीं किया गया है कि उक्त परिवाद व शिकायतें किस दिनांक को एवं किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है तथा उक्त शिकायतें एवं परिवाद किसको संबोधित है तथा नोटिस किस अधिकारी द्वारा किस दिनांक को जारी किया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत कोई भी सूचना चाहने हेतु आवेदक को उसके द्वारा वांछित सूचना का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है जो कि अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 व 2 के संबंध में उपलब्ध नहीं कराया गया है।

बिन्दु संख्या 3 में अपीलार्थी द्वारा श्री सुरेश कुमार खटीक के पदस्थापन दिनांक से अपीलार्थी के आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक तक की अवधि में एस. डी. ओ. एवं एस. डी. एम. कार्यालय चित्तौड़गढ़ का जिला कलक्टर द्वारा किये गये निरीक्षण की जानकारी एवं निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई है।

अतः बिन्दु संख्या 3 के संबंध में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार कर बिन्दु संख्या 3 संबंधी सूचना, यदि उक्त अवधि में निरीक्षण किया गया हो तो, निरीक्षण अनुभाग से सूचना प्राप्त कर उपलब्ध कराने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है।

(इन्द्रजीत सिंह)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/सू.अ./103/2017/ दिनांकः— / /2017
प्रतिलिपिः—

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री राहुल पंचोली, एडवोकेट पिता सुरेश पंचोली निवासी 90ए/6, कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)